फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी बाल्दा, वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही	बनाम	स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 174/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08.08.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री संजय माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/560 दिनांक 30.06.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम बाल्दा(वे) पटवार मण्डल सरतरा के खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 428 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि नाथूसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत नि. बाल्दा गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के पिता नाथूसिंह की मृत्यू दिनांक 09–10–2021 को हुई थी। आधार कार्ड, राशन–कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम नाथूसिंह पुत्र किशोरसिंह दर्ज है। अतः ग्राम बाल्दा(वे) पटवार मण्डल सरतरा के खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 428 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि नाथूसिंह पुत्र केसरसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र किशोरसिंह दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***ग्राम बाल्दा(वे) पटवार मण्डल सरतरा के खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 428 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि नाथूसिंह पुत्र केसरसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र किशोरसिंह संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	